कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई--3(स्कूल/सी)/2016

दिनांक: सितम्बर 09. 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
डा0 अमृत लाल इशरत मेमोरियल सनबीम स्कूल,
चौबेपुर, थाना--चौबेपुर,
वाराणसी

विषय:— विद्यालय भवन डा0 अमृत लाल इशरत मेमोरियल सनबीम स्कूल, चौबेपुर, थाना—चौबेपुर, वाराणसी में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के क्रियाशीलता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के संबंध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: शून्य, दिनांक: 29.08.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुसार विद्यालय भवन डा0 अमृत लाल इशरत मेमोरियल सनबीम स्कूल, चौबेपुर, थाना—चौबेपुर, वाराणसी का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी द्वारा किया गया जिनकी उपलब्ध आख्या दिनांक: 08.09.2017 का परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:

A. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:— भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रुप में उपयोग किया जा रहा है। विद्यालय भवन ग्रुप बी—2 के श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

1— मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी के पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई--3(स्कूल/सी)/2015 दिनांक: जून 09, 2016 के द्वारा अग्निशमन व्यवस्थाओं की क्रियाशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

1— प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र दिनांक: 30.08.2017 के अनुसार भवन वर्ष—2005 के पूर्व का निर्मित है तथा उक्त भवन भूतल+प्रथम+द्वितीय तल तक निर्मित है। भवन का प्लाट एरिया--6248.91 वर्गमीटर, कवर्ड एरिया--3094.21 वर्गमीटर, भवन की ऊँचाई--09.14 मीटर, भवन में दो सीढ़ी है, गेट की चौड़ाई--04.50 मीटर, मेन रोड की चौड़ाई लगभग-- 12.00 मीटर है। भवन में 03 माह के अन्दर प्रत्येक तल पर होजरील, 10000 लीटर का टेरेस टैंक व टैरेस टैंक के पास एक अदद फायर पम्प 450 एल0पी0एम0 क्षमता का स्थापित करके सूचित किया जायेगा तथा भवन में फायर एक्सटिंग्यूसर 25 अदद उपलब्ध है। भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील अवस्था में रखा जायेगा।

2— पहुँच मार्ग:—उक्त स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।

3— प्रवेश द्वार की चौड़ाई—उक्त भवन में प्रवेश हेतु 04.50 मीटर चौड़ाई का प्रवेश द्वार बनाया गया है।

4— अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):— उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 25 अदद संतोषजनक स्थिति में उपलब्ध है जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान संख्या—वी 060100 के द्वारा दिनांक: 08.09.2017 को रुपया--250/--राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

5— पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम की व्यवस्था स्कूल भवन में की गई है।

B. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या: 483/2009 में पारित आदेश दिनांक: 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रुप से निर्देशित है कि

F.S.O. VNS.

Chairperson
Dr. Amrit Lal Ishrat
Sunbeam School
Chaubeypur, Varanasi

Chairperson
Shri Chandra Moleshwar Trust

Chairperson
Dr. Amrit Lal Ishrat
Memorial Sunbeam School

Principal
Dr. Amrit Lal Ishrat
Memorial Sunbeam School
Chaubeypur, Varanasi

-------2पर

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरुप है।
2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय--समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी एवं अभियंता इस संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानको के अनुरुप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जाँच के उपरान्त ही प्रदान करेगें। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते है तो इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।

C. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्या: 1528/9–6–2008 दिनांक: 20 जुलाई, 200 का पालन अनिवार्य होगा।

D. फायर सर्विस मुख्यालय,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्या: एफ0एस0–1076/2012 दिनांक: 5 अक्टूबर, 2012 का पालन अनिवार्य होगा।

E. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा न किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार विद्यालय भवन **डा0 अमृत लाल इशरत मेमोरियल सनबीम स्कूल, चौबेपुर, थाना--चौबेपुर, वाराणसी** में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा शपथ पत्र दिनांक: 30.08.2017 में उल्लखित शर्तो का समयवद्ध पालन करने एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन उपकरणों की कियाशीलता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है, जो निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध माना जायेगा।

उपरोक्त किसी भी अग्निशमन व्यवस्था/जीव रक्षा प्रणाली के अकार्यशील होने पर निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

9-9-17

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी।

Principal
Dr. Amrit Lal Ishrat
Memorial Sunbeam School
Chaubeypur, Varanasi

प्रतिलिपि--

1. अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक: 08.09.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Chairperson
Dr. Amrit Lal Ishrat
Memorial Sunbeam School
Chaubeypur, Varanasi

Chairperson
Dr. Amrit Lal Ishrat
Memorial Sunbeam School